क्रमांक 15011/36/2022-जेयूएस(एयू)/ई6889
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में सितंबर, 2024 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग की सितंबर, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

1. **<u>ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:</u>**

क. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)**:अगस्त, 2024 माह के दौरान 29 लाख से अधिक मामलों के संबंध में जानकारी और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 15 लाख से अधिक आदेश/निर्णय एनजेडीजी पोर्टल पर जोड़े गए थे।

ख. **वर्चुअल कोर्ट:** अगस्त, 2024 के दौरान, 28 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 14,82,499 मामलों को निपटाया गया है। और 1,46,915 मामलों में, 16.77 करोड़ रुपये के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है।

ग. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** अगस्त, 2024 के दौरान वीसी मोड का उपयोग करके जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने 3,08,006 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 81,829 मामलों (कुल 3.89 लाख मामलों) की सुनवाई की।

घ. **जजों के लिए JustIS ऐप डाउनलोड:** JustIS मोबाइल ऐप में अगस्त, 2024 माह में 103 अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

ङ. **ई-सेवा केंद्र**: अगस्त 2024 माह में 277 नए ई-सेवा केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

च. **ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड**: ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप में अगस्त, 2024 में अतिरिक्त 5 लाख डाउनलोड देखे गए हैं।

2. <u>न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना</u>:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं, जिसमें ग्राम न्यायालय की योजना के लिए आवंटित 2.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। सितंबर, 2024 माह के दौरान, इस योजना के तहत 25.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के तहत कुल बजटीय आवंटन में से दिनांक 30.09.2024 तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 471.43 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

3. **<u>टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंचना:</u>**

क. **कानूनी सलाह :** 30 सितंबर, 2024 तक 99,45,660 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसमें सितंबर, 2024 माह में कानूनी सलाह पाने वाले 2,56,379 लाभार्थी भी शामिल हैं।

ख. **जागरूकता सत्र:** सितम्बर, 2024 माह में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 84 जिलों में कुल 109 जागरूकता सत्र एवं शिविर आयोजित किए गए जिनमें 3,892 नागरिकों ने भाग लिया।

ग. **क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:** सितम्बर, 2024 माह में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 175 जिलों में कुल 83 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 6,154 व्यक्तियों ने भाग लिया।

4. <u>न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम</u>:

क. न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 253 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया। अब तक, 11,580 (पुरुष-9,678, महिला-1,903, ट्रांसजेंडर-02) प्रो बोनो अधिवक्ता न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल हो चुके हैं।

ख. सितंबर 2024 माह में 68 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे लाभार्थी मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3629 हो गई है।

ग. वित्त वर्ष 2024-26 के लिए सितंबर, 2024 माह में 19 नए लॉ स्कूलों (पूरे भारत में) ने अपने संबंधित लॉ स्कूलों/कॉलेजों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) शुरू कर दिए हैं। उक्त योजना के तहत अब तक कुल 108 लॉ स्कूल शामिल किए जा चुके हैं।

5. <u>लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लबों द्वारा संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम:</u>

क. शारदा स्कूल ऑफ लॉ, शारदा विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब ने बिसरख गांव, गौतमबुद्ध नगर के शैक्षिक दौरे का आयोजन किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य एक सशक्त सामुदायिक संबंध को बढ़ावा देना और भारत में ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में 35 प्रतिभागियों मे हिस्सा लिया। क्लब ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के सहयोग से स्वच्छता ही सेवा अभियान भी चलाया। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

ख. स्कूल ऑफ लॉ, केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर के प्रो बोनो क्लब ने पटिया के सरकारी स्कूलों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। क्लब द्वारा महिला सुरक्षा पर एक हैंडबुक भी लॉन्च की गई।

ग. पी.जी. विधि विभाग, बरहामपुर विश्वविद्यालय के प्रो बोनो क्लब ने रैगिंग विरोधी अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रैगिंग की गंभीरता, इसके कानूनी निहितार्थ और इसे रोकने के विद्यमान उपायों के बारे में शिक्षित करना था। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभागी शामिल हुए।

घ. स्कूल ऑफ लॉ, फोरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज, एनएफएसयू गांधीनगर के प्रो बोनो क्लब ने इंद्रोदा और ववोल गांवों में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया। ववोल गांव में भी 'जन सुनवाई' का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 प्रतिभागी शामिल हुए।

ङ. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर के प्रो बोनो क्लब ने एक ग्राहक परामर्श प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्राहक संपर्क, समस्या-समाधान और नैतिक परामर्श में भविष्य के कानूनी पेशेवरों के कौशल को बढ़ाना था। इस आयोजन में 70 टीमों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

च. पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के विधि विभाग के प्रो बोनो क्लब ने नए आपराधिक संशोधन अधिनियमों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। इस क्लब ने घुद्दा गांव के सरकारी स्कूल का भी दौरा किया जहां उन्होंने भारत में बाल श्रम पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन में 50 प्रतिभागियों की भागीदारी रही।

छ. महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एमएआईएमएस), दिल्ली के प्रो बोनो क्लब ने कमला नगर बाजार में कानूनी जागरूकता अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों के बीच उनके अधिकारों, कर्तव्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में कानूनी जागरूकता फैलाना था। इस कार्यक्रम में 50 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

ज. बिरला स्कूल ऑफ लॉ, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, खोर्दा, कटक के प्रो बोनो क्लब ने राज्य मध्यस्थता प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी पेशेवरों के बीच वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में 80 प्रतिभागी पहुंचे थे।

6. <u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):</u>

क. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने प्रो. वी.एस. मल्लार मेमोरियल कानूनी सहायता प्रतियोगिता 2024 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया । इस आयोजन में प्रतिभागियों के रूप में 55 टीमें शामिल थीं। इसके अलावा, उन्होंने स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, सीएमआर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु के सहयोग से एक कानूनी वकील सहायता कार्यशाला का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 181 प्रतिभागी पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने 409 सोशल मीडिया पोस्ट/यूट्यूब सामग्री विकसित की, जो 1,04,620 व्यक्तियों तक पहुंची थी।

ख. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर 27 सितंबर 2024 को "महिलाओं से जुडें ऑनलाइन अपराध" पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन कराया । इस सत्र को 235 दर्शकों ने देखा।

ग. विधि अनुसंधान संस्थान (एलआरआई) गुवाहाटी ने तीन राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की पांच जनजातियों के प्रथागत कानूनों के दस्तावेजीकरण के लिए एक क्षेत्रीय दौरा किया।

घ. डॉ. अम्बेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (एजीएलसी), पुडुचेरी ने पुडुचेरी के विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों में तीन कानूनी जागरूकता सत्रों का आयोजन किया । इस कार्यक्रम में 662 छात्र उपस्थित हुए थे।

ङ. न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवोन्नत समाधान तैयार करना (दिशा) योजना के तहत, इस विभाग ने दूरदर्शन के सहयोग से विभिन्न कानूनी जागरूकता मुद्दों का समाधान करते हुए 56 टीवी कार्यक्रम विकसित किए हैं। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। सितंबर 2024 तक, उप-विषय "विधि जागृति अभियान" के तहत 11 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों पर 54 एपिसोड प्रसारित किए गए हैं, जो चल रहे अखिल भारतीय "हमारा संविधान हमारा सम्मान" अभियान का हिस्सा है।

7. <u>नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)</u>:

नालसा के तत्वावधान में, 14 सितंबर, 2024 और 21 सितंबर, 2024 को 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 31.27 लाख से अधिक लंबित मामले और 1.33 करोड़ प्रि-लिटिगेशन मामले निपटाए गए।

*****